भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4915

दिनांक 23 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण

4915. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः
श्री धनुष एम. कुमारः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. अमोल राम सह कोल्हेः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के मुख्य कार्य तथा इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को प्रदान की गई कुल निधि/वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, वार्षिक मात्स्यिकी संसाध्न सर्वेक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधन कार्यक्रम तैयार करता है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सर्वेक्षण से देश में मात्स्यिकी के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिली है और
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही साथ मात्स्यिकी विनियमन, संसाधन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के मुख्य कार्य तथा इसे स्थापित करने का उद्देश्य भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.ज़ेड) में मात्स्यिकी संसाधनों के अनवेषणात्मक सर्वेक्षण का संचालन, समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के वितरण और भंडार का आंकलन करना है । इसके उद्देश्य हैं (i) अनवेषणात्मक सर्वेक्षण, मत्स्यन हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का चार्ट तैयार करना, नजदीकी गहन अंतराष्ट्रीय जलक्षेत्र सहित भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी भंडारों का आकलन एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर विशेष सर्वेक्षण के अलावा अनुसंधान (ii) आंकड़ा संग्रहण और मात्स्यिकी प्रबंधन के मुद्दों पर सलाह देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सम्मेलनों में स्थापित नियमों के अनुरूप मात्स्यिकी संसाधनों की संभावनाओं का सामयिक पुनर्वैधीकरण और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप, (iii) प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ़) सहित दोहन किए गए क्षेत्रों में मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण की निगरानी, निगरानी का अनुप्रयोग, मात्स्यिकी क्रियाकलापों को विनियमित

करने के लिए नियंत्रण और निगरानी (एम. सी. एस.) और भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.ज़ेड) में ज़िम्मेदारीपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता को बढ़ावा देना (iv) आंकड़ा बैंक का अनुरक्षण तथा अंतिम उपभोक्ताओं तक मात्स्यिकी संसाधनों की सूचना का प्रचार-प्रसार, समुद्री और अंतर्देशीय मछलियों के उत्पादन एवं संबन्धित पहलुओं के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मध्यस्थ की भूमिका निभाना, (v) मुख्यतः वातावरण और समुद्री आवास की परिस्थितिकी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मत्स्यन गियर, सहायक सामग्री तथा उपकरणों की अनुरूपता का आकलन (vi) मात्स्यिकी भंडार की पहचान और जेनेटिक उपकरणों तथा तकनीकियों के प्रयोगों के साथ जैव विविधता का अध्ययन, (vii) कुटीर, यंत्रीकृत तथा औधोगिक सेक्टर को लाभान्वित करने के लिए रिमोट सेन्सिंग का प्रयोग करते हुए समुद्री मात्स्यिकी के बारे में पूर्वानुमान, (viii) मछली पकड़ने का काम करनेवालों, मछुआरों, मात्स्यिकी अधिकारियों एवं छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देते हुए मानव संसाधन का विकास करना ।

(ख) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को विगत तीन वर्षों के दौरान मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है । जारी किए गए अनुदान का उपयोग भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण अपने क्षेत्रीय बेस कार्यालयों सहित संगठन के कार्यों और खर्चों को पूरा करता है न कि राज्यों को निधि आवंटित करता है।

क्र.सं	वर्ष	सरकार द्वारा प्रदत अनुदान(लाख रुपए में)
1	2016-17	5943.26
2	2017-18	5081.76
3	2018-19	5456.07
	कुल	16481.09

(ग) और (घ) हाँ महोदय, प्रत्येक माह निरंतर भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण का संचालन करता है तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मुख्य मात्स्यिकी संसाधनों के भंडार के आकलन के लिए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और अनुसंधान कार्यक्रमों को भी अंजाम दिया जाता है । भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे- मुंबई, गोवा, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टणम और पोर्ट ब्लेयर से जुड़े सर्वेक्षण जलयानों को तैनात करके, डिमर्शल ट्रोलिंग, लॉन्ग लाईनिंग इत्यादि जैसी विभिन्न मत्स्यन प्रणालियों को अपनाते हुए पूर्वी और पश्चिमी तट के पूरे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण का संचालन किया जाता है। इसके अलावा, देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षमता के आंकलन के लिए, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा मात्स्यिकी संसाधनों से संबन्धित आंकलन का प्रयोग होता है । समुद्री मात्स्यिकी के सतत दोहन के लिए सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों को अंतिम उपभोक्ताओं तक प्रचारित किया जाता है और इस प्रकार सर्वेक्षण से देश के मात्स्यिकी सेक्टर को सहायता प्राप्त होती है ।

(ङ) अनन्य आर्थिक क्षेत्र अर्थात - उपयुक्त विधान के तहत 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील के क्षेत्र में मात्स्यिकी को नियंत्रित और विनियमित करने का अधिदेश केंद्र सरकार के पास है और प्रादेशिक जल क्षेत्र में सतत मत्स्यन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार अपने 'समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम(एम.एफ.आर.ए.) का कार्यान्वयन कर रही हैं। राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017 की सभी कार्रवाईयां संसाधनों की सततता को बनाए रखने के लिए विचार करती है । इसके अलावा, यह विभाग उपयुक्त संरक्षण के साथ सतत मात्स्यिकी के अवलोकन तथा मात्स्यिकी संबंधी प्रबंधन के लिए समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श देता/ एडवाईजरी जारी करता है।

******